ई-मेल

संख्या– 1271 /9–9–14–20ज/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त,
जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त, नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 27 अक्टूबर, 2014

विषय– वर्ष 2014–15 से समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–183(1)/नौ–9–14–20ज/14, दिनांक 20.02.14 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–264/26–2–14–100–(1)/13 दिनांक 07.02.14 जो नगर विकास विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध है के अनुपालन में नागर निकाय क्षेत्रान्तर्गत (शहरी क्षेत्र में) योजनान्तर्गत सदस्यो के चयन/पात्र परिवारों के आवेदको के आवेदन पत्रों का आमंत्रण, जांच व स्थलीय सत्यापन कराये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कतिपय नागर निकायों मे वार्ड समिति का गठन नही हो पाया है, जिसके कारण उन्हें समाजवादी पेशन योजना के संचालन में निर्गत शासनादेश संख्या–264/26–2–14–100(1)/13, दिनांक 07.02.14 के प्रस्तर–7.2.7 में की गयी व्यवस्था के अनुपालन में कठिनाई हो रही है। अतः समयक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागर निकायों जहां अभी तक वार्ड कमेटी का गठन नही हुआ है, उनके लिये समाजवादी पेशन योजना लागू करने में हो रही कठिनाई के दृष्टिगत तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू की जाती हैः–

"नगर निगमों से सम्बन्धित वार्ड के पार्षद वार्ड समिति के अध्यक्ष तथा सहायक नगर आयुक्त से अनिम्न स्तर के अधिकारी संयोजक, सदस्य एवं एक कर अधीक्षक सदस्य होगें। नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों मे वार्ड का सम्बन्धित सभासद अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी संयोजक सदस्य होगें। उक्त प्रस्तावित वार्ड समितियों के लिए नगर निगमो/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों मे जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राज्य पत्रित अधिकारी भी सदस्य होगें"।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

27/10/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

go-y

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2— प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।

3— आयुक्त, समाज काल्याण विभाग, उ0प्र0।

4— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5— निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस पर प्रभावी अनुश्रवण करें।

6— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)

7— वेब साइट पर अपलोड हेतु/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

27.11.2014

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

go-y